

राजस्थान राज-पत्र	RAJASTHAN GAZETTE
विशेषांक	Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 13, बुधवार, शाके 1933—अक्टूबर 5, 2011 Asvina 13, Wednesday, Saka 1933—October 5, 2011

> भाग 4 (ग) उप—खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य—प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(ग्रुप-1) अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 5, 2011

एस.ओ. 97:—राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 23) की धारा 1 की उप—धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इसके द्वारा, 14 नवम्बर, 2011 को, उस तारीख के रूप में, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा, नियत करती है।

[संख्या एफ. 13 (1)प्र.सु. एवं स./ग्रुप-1/2008] राज्यपाल के आदेश से, आर.पी.जैन, प्रमुख शासन सचिव।

ADMINISTRATIVE REFORMS & COORDINATION DEPARTMENT (GROUP-1)

NOTIFICATION

Jaipur, October 5, 2011

S.O. 97.—In exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 1 of the Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011 (Act No. 23 of 2011), the State Government hereby appoints the 14th November, 2011 as the date on which the said Act shall come into force.

[No.F. 13(1)AR&C/Gr.1/2008] By Order of the Governor, आर.पी.जैन,

Principal Secretary to Government.

139

Government Central Press, Jaipur.